[redacted]

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	010118090720200003526
Total E-Stamp Amount	500
Govt. Stamp Duty (Rs.)	500
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	09/07/2020 12:22:19
Service Provider or Issuer Details	kamlesh raghuwanshi/SP011840004201900110
SP/SRO/DRO/HO Details	f3, dist court jabalpur JABALPUR JABALPUR

Deed Details

Deed Type	Agreement or Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If not otherwise provided for- Five hundred rupees.
Purpose	RENT AGREEMENT

First Party Details

Name	ANITA YADAV S/O D/O W/O C/O BABU LAL YADAV
Address	404, GRAM PANCHAYAT TIGHRA, SONPUR, JABALPUR JABALPUR Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	:

Second Party Details

Name	MAYANK BISEN S/O D/O W/O C/O GOVIND BISEN
Address	GRAM PANCHAYAT TIGHRA, HANUMAN MANDIR KE PASS, TIGHRA JABALPUR KATNI Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

RENT AGREEMENT

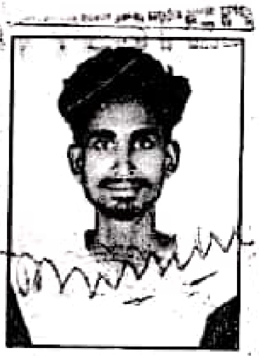

-अनीता यादव

mayank

Signature attested

9/7/2020

Digitally signed by
KAMLESH RAGHUVANSHI
Date: 2020.07.09 12:26:24
IST

09 JUL 2020

9/7/20

[redacted]

010118090720200003526

Scanned with CamScanner

|| किरायानामा ||

किरायेदार का नाम – **श्री मयंक बिसेन** उम्र 20 वर्ष आत्मज श्री गोविंद बिसेन निवासी – म.न. 119, ग्राम पंचायत तिघरा हनुमान मंदिर के सामने तिघरा थाना खमरिया तह. व. जिला जबलपुर म.प्र. वाले ने यह किरायानामा मकान मालिक के पक्ष में लिख दिया जिन्हें प्रथम पक्षकार किरायेदार कहा गया है। आधार कार्ड नं0. 8007 4216 0667 है।

दुकान मालिक का नाम – **श्रीमति अनीता यादव** उम्र 50 वर्ष पत्नि श्री बाबू लाल यादव निवासी – म.न. 404, ग्राम पंचायत तिघरा, सोनपुर तिघरा थाना खमरिया तह. व. जिला जबलपुर म.प्र. वाले के पक्ष में किरायेदार ने यह किरायानामा लिख दिया जिन्हें आगे व्दितीय पक्षकार दुकान मालिक कहा गया है ! आधार कार्ड नं0. 2660 2525 8761 है।

किराये पर दी जाने वाली संपत्ति दुकान का विवरण – किराये पर दी जाने वाली संपत्ति दुकान स्थित पिपरिया सेंट्रल बैंक के सामने कुण्डम रोड तह. व. जिला जबलपुर म.प्र. में स्थित है। उक्त दुकान पक्का लेंटर वाली दुकान है जिसमें दो लोहे की शटर लगी हैं जिसका कुल रकवा 8 बाई 23 बराबर 184 वर्गफुट क्षेत्रफल है। जिसें मैं दुकान मालिक आप किरायेदार को 2,000/– रूपये प्रतिमाह की दर से दे रही हूँ। उक्त दुकान आज दिनांक 09/07/2020 से 11 माह की समय अवधि अर्थात् दिनांक 08/06/2021 तक के लिये किराये पर दिया जा रहा है इसके एवज में किरायेदार ने आप दुकान मालिक को बतौर एडवांस/पगडी के रूप में 2,000/– अंकन में दो हजार रूपये बतौर एक माह का किरया दुकान मालिक को सौप दिया है !

|| किरायानामा का लेख ||

बावद ऐसी कि मेरे निजी स्वातित्व की उपरोक्त वर्णिम दुकान जिसकी मैं दुकान मलिक एक मात्र स्वामि मालिक काबिज हूँ, जिसे में आप किरायेदार को आज दिंनाक 09/07/2020 से 11 माह के लिये अर्थात 08/06/2021 तक के लिये किराये पर दे रही हूँ। आप किरायेदार की किरायेदारी अंग्रेजी माह की 1 तारीख से 30 तारीख तक की होगी। आप किरायेदार किराये की राशि प्रत्येक माह की 1 तारीख से 10 तारीख तक के भीतर आवश्यक रूप से मकान मालिक को अदा करना होगा। और अगर किरायेदार को उक्त दुकान पुनः किराये पर लेनी है तो किराये की राशि में 10 प्रतिशत बढा कर उक्त दुकान पुनः किराये पर दी जावेगी ।

0 9 JUL 2020

9/7/2020

अनीता यादव

Neelam Singh Raghuwanshi
Advocate (Notary)
Jabalpur District (M.P.) India

Scanned with CamScanner

आप उक्त किराये के मकान का उपयोग अपने खुद के व्यवसाय एजुकेशन सेंटर व कम्प्यूटर सें संबंधित का व्यवसाय करेंगें इसके अलावा कोई अन्य कार्य नहीं करेंगें ! किरायेदार बिजली के मीटर की रीडिंग के अनुसार बिल का भुगतान हर माह स्वंय अदा करेंगें ! किरायेदार उक्त दुकान का रख रखाव स्वंय करेगा उक्त दुकान में किसी भी प्रकार का न्यूसैंस पैदा नहीं करेगा। उक्त दुकान में किसी प्रकार की तोड फोड किरायेदार नही करेगा। किरायेदार उक्त दुकान किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर भी नहीं देगा। यदि लगातार किरायेदार द्वारा 2 माह तक किराया न देने की स्थिति में किरायेदार द्वारा दी गई पगडी की राशि में से दुकान मालिक किराये की राशि काट लेगा। किरायेदार किराये की राशि प्रत्येक माह की 1 तरीख से 10 तारीख के भीतर आवश्यक रूप से दुकान मालिक को अदा करेगा यदि किरायेदार को उक्त दुकान 11 माह पूर्व खाली करना है तो किरायेदार को दुकान मालिक को 1 माह पूर्व सूचित करना होगा और यदि किसी कारणवश विषम परिस्थितियों को दुकान मालिक को उक्त दुकान की आवश्यकता पडती है तो दुकान मालिक किरायेदार को 1 माह पुर्व सूचित करेगा किरायेदार समय अवधि पूर्ण होने पर उक्त दुकान पुनः किराये पर लेना है तो किरायेदार को दुकान मालिक के पक्ष में एक नया किरायनामा लिखकर देना होगा ! यह दुकान मालिक की इच्छा पर निर्भर होगा कि किरायेदार को उक्त दुकान किराये पर देना है अथवा नहीं। किरायेदार समय अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात् उक्त दुकान का कब्जा दुकान मालिक को सौप देगा किसी भी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं करेगा और यदि करता है तो दुकान मालिक को यह अधिकार होगा कि उक्त दुकान का कब्जा किरायेदार से प्राप्त कर सकता है ऐसी स्थिति में यदि किरायेदार दुकान मालिक के विरूद्व कोई कानूनी कार्यवाही करता है जो इस किरायेनामें के आधार पर किरायेदार द्वारा की गयी कानूनी कार्यवाही निरस्त /अमान्य/शुन्य समझी जावेगी! किरायेदार उक्त दुकान में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके कारण दुकान मालिक और आस पडोस के लोगो को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो !

Scanned with CamScanner